Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 53–2024] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024 (PAUSA 10, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

क्रमांक 1481/कृषि-II(I)/2024/8918.—

विषयः हरियाणा राज्य में सभी एमएसपी अधिसूचित फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।

मंत्रिपरिषद ने 05.08.2024 को आयोजित अपनी बैठक में पहले से खरीदी जा रही फसलों यानी धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना के अलावा रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया। हरियाणा के राज्यपाल भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में खरीद के लिए इन फसलों को अधिसूचित करते हुए प्रसन्न हैं।

एमएसपी पर उक्त फसलों की खरीद के लिए दिशानिर्देशः

मुख्य रूप से उत्पादन में उतार–चढ़ाव, उनकी आपूर्ति में भिन्नता और बाजार से संबंधित जानकारी की समय पर उपलब्धता की कमी के कारण कृषि उपजों की कीमतें स्वाभाविक रूप से अस्थिर हैं। किसी भी वर्ष बहुत अच्छी फसल होने पर उस वर्ष उस वस्तु की कीमत में भारी गिरावट आती है, जिसका भविष्य की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि किसान उस फसल को अगले वर्षों में बोने से पीछे हट जाते हैं। किसानों की आय, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के लिए लाभकारी और स्थिर मूल्य वातावरण का आश्वासन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि उपज का बाजार मूल्य अक्सर अस्थिर और उतार–चढ़ाव वाला होता है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान हो सकता है और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में हतोत्साहित होना पड़ सकता है।

कृषि उपज की कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार कृषि मूल्य समर्थन प्रणाली का पालन कर रही है। सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी की गारंटी देने से यह उम्मीद की जाती है कि वह उनके उत्पादन की लागत के साथ–साथ कुछ निश्चित लाभ मार्जिन को भी कवर करेगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा हर साल (खरीफ और रबी) एमएसपी तय और घोषित किया जाता है। एमएसपी के स्तर और अन्य गैर–मूल्य उपायों के लिए सिफारिश तैयार करने में, आयोग उत्पादन की लागत, इनपुट मूल्य में बदलाव, फसल मूल्य समानता, बाजार मूल्य में रुझान, मांग और आपूर्ति, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, आदि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखता है।

कृषि वस्तुओं के लिए केंद्र सरकार की मूल्य नीति उच्च उत्पादन के माध्यम से उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहती है। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर विचार करती है और तदनुसार 23 फसलों यानी धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, अरहर, मूंग (खरीफ और ग्रीष्मकालीन),उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, कपास, गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, जूट, खोपरा और गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। इसके अलावा हर साल गन्ना किसानों की आय की रक्षा के लिए गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) भी तय किए जाते हैं। सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय कपास निगम (सीसीआई), भारतीय जूट निगम (जेसीआई), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) जैसी विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों और सहकारी समितियाँ जैसे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (NCCF) के माध्यम से अधिसूचित कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी की खरीद संचालन लागू करती है ।

धान और गेहूं की शत–प्रतिशत खरीद केंद्र सरकार करती है. जब भी बाजार मूल्य कपास के एमएसपी से कम होता है तो भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की शत–प्रतिशत खरीद की जाती है। गन्ने के लिए, राज्य सरकार द्वारा हर साल राज्य सलाहित मूल्य (एसएपी) तय किया जाता है, जो हमेशा भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफआरपी से अधिक होता है। राज्य में चीनी मिलों को एसएपी पर गन्ना खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तिलहन फसलें जैसे मूंगफली, तिल, खोपरा, सोयाबीन, नाइजरसीड, सूरजमुखी, सरसों, कुसुम और दलहन फसलें मूंग (खरीफ और ग्रीष्मकालीन), उड़द, अरहर, चना और मसूर भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार अपनी लागत पर 25 प्रतिशत उपज की खरीद की अनुमति देती है। बाकी 75 प्रतिशत उपज राज्य सरकार खरीदती है। राज्य सरकार ने खरीफ 2021 से खरीफ 2023 के दौरान भावान्तर भरपाई योजना के माध्यम से बाजरे की कीमत में अंतर की राशि प्रदान की।

हरियाणा में रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जूट और खोपरा जैसी फसलें नहीं बोई जाती हैं। मक्के का बाजार मूल्य आमतौर पर एमएसपी से अधिक रहता है। राज्य ने 2018–19, 2020–21 और 2021–22 में मक्का खरीदा था। राज्य सरकार ने कभी भी जौ नहीं खरीदा क्योंकि बाजार मूल्य आमतौर पर तय एमएसपी से अधिक रहता है। अरहर, उड़द, तिल, ज्वार की बाजार कीमतें भी तय एमएसपी से अधिक बनी हुई हैं। सभी अधिसूचित फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत पात्र किसानों से की जाएगी।

डा० राजा शेखर वूंडरू,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

11444—C.S.—H.G.P., Pkl.